437 392

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये FIVE RUPEES

रु.5 Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND 03AA 907982

निबंधन अधिनियम..........1908..........के अधीन और छोटानागपुर/संथालपरगना टेनेन्सी एक्ट की धारा..........21..........के अधीन भी ग्राह्य है और इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 की अनुसूचि A(1) के खण्ड..........22..........के अधीन यथोक्त स्टाम्प सहित (या स्टाम्प शुल्क के विमुक्त या स्टाम्प शुल्क अपेक्षित नहीं)

निबंधन पदाधिकारी

04/03/2020

राजेश कुमार 4/3/2020

बिक्रय–पत्र

केवालादाता – **श्री राजेश कुमार**, पिता स्व0 मथुरा प्रसाद सिंह, दादा स्व0 सातो सिंह, जाति–भुमिहार ब्राह्मण, पेशा–व्यवसाय, साकिन–विलियम्स टाउनस, देवघर सवडिविजन, सवरजिष्ट्री वो जिला–देवघर। (झारखण्ड), वर्तमान साकिन–बभनगामा, पोस्ट–पहसारा, थाना–नावकोठी, जिला–बेगूसराय, बिहार। राष्ट्रीयता– भारतीय। पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न।

सी.न. 1217

जिला कारागार
26 JUL 2019
देवघर (झारखण्ड)

SK/

10.8.2019

S. S. [illegible]
Stamp Vendor, Deoghar
L.No -1/2006

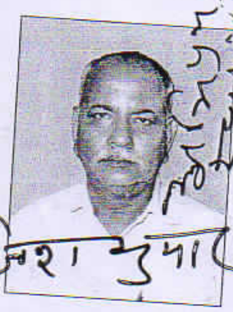

राजेश कुमार
4/3/2020

श्री राजेश कुमार पिता/पति का नाम श्री/स्व० मथुरा [illegible]
निवास स्थान [illegible]
जाति [illegible] पेशा [illegible]
0249 [illegible]
[illegible]
[illegible]
तारीख 04/03/2020 पूर्वाह्न/अपराह्न में 10 बजे
(समर्पण) निबंधन के लिए पेश किया।

राजेश कुमार
उपस्थापक का हस्ताक्षर

निबंधन पदा० का हस्ताक्षर
04/03

जिला अवर निबंधक
सत्यमेव जयते
देवघर का मुहर

राजेश्वर कुमार
5/3/2020

केवालाग्रहितृ – श्रीमती वन्दना कुमारी, पिता स्व0 रामबालक सिंह, दादा स्व0 मुशो सिंह, पति श्री राकेश कुमार जाति–भुमिहार ब्राह्मण, पेशा–गृहिणी, साकिन–ग्राम+पोस्ट+थाना–सालिमपुर, जिला–पटना (बिहार)। राष्ट्रीयता– भारतीय। पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न।

लेख्य प्रकार – बिक्रय–पत्र।

किमत जायदाद – मो0 26,50,000/– (छब्बीस लाख पचास हजार) रूपये मात्र।

विवरण जायदाद – निम्न तफसील में दर्ज है।

विदित हो कि देवघर टाउन के अंतर्गत मौजा सलौनाटांड़, विलियम्स टाउन नं0–253 के अंदर असर्वेक्षित बसौड़ी सत्व की जमीन टाउन प्लॉन प्लॉट नं0–284 जमाबंदी नं0–64 नया– 1 के अंदर रोहिणी स्टेट के खास टुटा फुटा खास खण्डक परती जमीन था। उक्त प्लॉट के अंदर रकवा 1 एक कट्ठा जमीन को छोड़कर बांकी कुल जमीन को दिनांक 01.10.1954 ई0 में श्रीमती अल्का देवी तत्कालीन रोहिणी स्टेट के घटवाल से बंदोवस्त पाकर नामान्तरण वाद संख्या – 1/80–81 के द्वारा दिनांक 10.02.81 एवं 22.03.81 में श्रीमान् अंचलाधिकारी के आदेशानुसार नामान्तरण करवाकर सन् 1965–66 से बिहार सरकार को सलाना खजाना अदाय करती हुई बराबर दखलकारिणी रही। उक्त नामान्तरण के खिलाफ जगरनाथ गुप्ता के एल.आर.डी.सी. अदालत, देवघर में अपिल करने पर अपील नं0–1/81–82 के तहत प्लॉट नं0 284 पर उनके दावें को खारीज कर दिया गया और उक्त आपति के आदेश के खिलाफ ए.सी. , देवघर अदालत में पुनः अपिल करने पर रे0 भी0 अपिल नं0 17/83–84 के द्वारा दिनांक 03.05.1993 में भी उनके दावे को नामंजूर कर दिया गया। अलका देवी उपरोक्त जमीन पर निर्विवाद रूप से दखलकारिणी रहती हुई उसे टुकड़ा–टुकड़ा कर बिक्री करने पर उसके अंदर 17 सत्तरह कट्ठा 4 चार धुर जमीन स्थानीय माप से जमीन को देवघर निबंधन कार्यालय से निबंधित एक किता खोश केवाला दलील पुस्तक संख्या1, जिल्द संख्या 17 पृष्ठ संख्या 526

से 529 तक में निबंधित जिसकी संख्या 2668 वर्ष 1982 के द्वारा श्री मृत्युजंय प्रसाद, साकिन–रोहिणी, खरीदकर उस पर निर्विवाद रूप से दखलकार रहते हुये उसके अंदर स्थानीय माप से 14 चौदह कट्ठा 4 धुर जमीन को दिनांक 18.11.1982 ई0 में देवघर निबंधन कार्यालय से निबंधित एक किता खोश केवाला दलील संख्या–3393 वर्ष 1982 के द्वारा श्री मणी प्रसाद सिंह साकिन बभनगामा, थाना–बरबरी, जिला–बेगूसराय के पास बिक्री कर दिया।

दिनांक 19.08.1994 ई0 को निबंधन कार्यालय, देवघर से निबंधित एक किता बिक्रय पत्र पुस्तक संख्या–1, जिल्द संख्या–12, पृष्ठ संख्या 305 से 311 तक में निबंधित जिसकी संख्या 2972 वर्ष 1994 के द्वारा उपरोक्त मौजा सलोनाटांड़ 253 के अंदर बसौड़ी सत्व की जमीन जमाबंदी नं0–64 नया–1, टाउन प्लॉन प्लॉट नं0– 284 रकवा 18738 वर्गफीट जमीन को श्री मणि प्रसाद सिंह ने मुझ केवालादाता के पास बिक्री कर दिया। मैं केवालादाता अपनी खरीदगी सम्पति पर दखल कब्जा लेकर कुछ अंश को बिक्री कर देने पर अवशेष रकवा 15738 वर्गफीट जमीन पर दखल–कब्जा लेकर अंचल कार्यालय, देवघर नामान्तरण वाद संख्या 674 वर्ष 2011–12 आदेश दिनांक 05.09.2011 के द्वारा अपने नाम से नामान्तरण कराकर व नगर निगम में भी अपना नाम दर्ज कराकर सलाना खजाना व नगरपालिका टैक्स अदाय करते हुए आज तक निर्विवाद रूप से भोग दखल कर रहा हूँ।

अभी मुझ केवालादाता को रूपये की अति आवश्यकता है। रूपये का बन्दोवस्त अपने पास से वो अन्य उपाय से होते न देखकर निम्न तफशील में वर्णित जमीन जो संलग्न नक्सा में लाल रंग से चिन्हित है, बिक्री करने का एलान किया। आप केवाला ग्रहितृ उसे खरीद करने की इच्छा जाहिर करने पर जायदाद मजकुर का कीमत अभी की बाजार दर से वो उभय पक्षों की मंजूरी से मो0 26,50,000/– (छब्बीस लाख पचास हजार) रूपये मात्र कायम हुए।

अतएव मैं केवालादाता ने आपलोग केवाला ग्रहितागण से निम्नलिखित पावती रसीद मुताबिक मो0 26,50,000/– (छब्बीस लाख पचास हजार) रूपये नीचे लिखे पावती रसीद मुताबिक भुगतान पाकर निम्न तफसील में वर्णित जमीन (जो संलग्न नक्सा में लाल रंग से चिन्हित है) आप केवाला ग्रहितृ के पास बिक्री कर दिया तथा उस पर दखल कब्जा दे दिया।

राजेश कुमार
4/3/2020

अब आप केवालाग्रहितृ मुझ केवालादाता के सत्व वो दखल से सत्ववति वो दखलकारिणी होकर दान, बिक्री, मोरगेज वो नाना प्रकार हस्तान्तरण आदि करने की पुर्ण मालकिन होकर अपने पुत्र–पौत्रादि, स्थालाभिषिक्तगण क्रम से सदा सर्वदा के लिये सुख पुर्वक भोग दखल करती रहें इसमें मुझ केवालादाता मय वारिशान को किसी तरह का उज्र आपत्ति नहीं होगा और न कोई भी कर सकेगा। यदि कोई करे या करावे तो वह सरे अदालत नाजायज वो वातिल होगा।

विक्रीत सम्पत्ति के मैं केवालादाता ही मालिक वो दखलकार हूँ। इमसें दिगर अंशदार या हकदार नहीं है और न कभी भी किसी तरह का दाय संयुक्त या हस्तान्तरण किये हैं। यानी विक्रीत सम्पत्ति हर तरह से वो हर तरफ से पाक वो साफ है।

उपरोक्त उक्तियों के खिलाफ अगर साबित हो या विक्रीत सम्पत्ति के किसी भी अंश से बेदखल होने पर उस स्थिति में मैं केवालादाता आप केवाला ग्रहितृ के कीमत का कुल रूपये मय हर्जाना वो खर्चा का देनदार रहूँगा तथा कानुन के अमल में लाए जायेंगें।

इस बिक्रय पत्र के एवज में भविष्य में कुछ लिखने या करने की जरूरत पड़ने पर उस स्थिति में मैं केवालादाता आपकेवाला ग्रहितृ के अनुरोध पर वैसा लिखने या करने के लिये तैयार रहूँगा।

एतदर्थ अपने मन वो शरीर की स्वस्थता में रहकर बिना किसी के दबाव या बहकावे के कीमत का कुल रूपये नीचे लिखे पावती रसीद मुताबिक भुगतान पाकर अपनी स्वेच्छा से यह बिक्रय खोश केवाला दलील लिख दिया जो प्रमाण रहे। इति तारीख – 4.3.2020

तफशील सम्पत्ति

थाना नं0 253 जमाबंदी नं0 64 नया 1 ,सवडिविजन सवरजिष्ट्री वो जिला देवघर थाना देवघर, तालुक रोहिणी सामील मौजा–सलौनाटांड़ विलियम्स टाउन के अन्दर असर्वेक्षित बसोड़ी सत्व की हस्तांतरणीय जमीन टाउन प्लॉन प्लॉट नं0– 284 का अंश रकवा 1209 वर्गफीट यानि 2.77 डिसमिल जमीन जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से चिन्हित है, मय कुल हक हकुक बिक्री किया, देवघर नगर निगम वार्ड नं0–15, होल्डिंग नं0– 0100001594000A1 जिसकी चौहदी :–

उत्तर– श्रीमती सरिता कुमारी एवं वर्षारानी की जमीन।
इधर की माप 40'–0'' फीट।

दक्षिण– केवालादाता का जमीन।
इधर की माप 38'–0'' फीट।

पूरव– 10'–0'' फीट चौड़ा प्रपोज्ड रोड।
इधर की माप 31'–0'' फीट।

पश्चिम – मीना देवी,पूजा कुमारी का जमीन।
इधर की माप 31'–0'' फीट।

घोषणा :– उक्त बिक्रीत सम्पति अन्य सड़क में है, जो आवासीय है। उक्त बिक्रीत सम्पति सरकारी भूमि (कैशारे हिन्द भूमि/गैर मजरूआ आम भूमि/गैर मजरूआ खास भूमि/वन भूमि/जंगल आदि/ विभिन्न विभागों के अर्जित/हस्तान्तरित तथा अन्य श्रेणी की सरकारी भूमि आदि) के अंतर्गत नहीं है। उक्त बिक्रीत सम्पति गोचर, भूहदबंदी, आदिवासी खाते की नहीं है व कब्रिस्तान या अन्य धार्मिक स्थल की नहीं है तथा चारागाह के अंतर्गत भी नहीं है एवं भूमि सी0बी0आई0 जाँच के दायरे के अंदर नहीं है तथा न्यायालय द्वारा भी किसी प्रकार का रोक नहीं है।

अंचल कार्यालय, देवघर के आदेश ज्ञापांक–1264/रा0, दिनांक 12.09.2018 के द्वारा भूमि हस्तांतरणीय है।

गवाहन्

दस्तावेज फरिकैन को पहचान कर्ता (1) मणि भूषण मिश्र पिता– स्व० अवध 4/3/2020 किशोरीबाग विलियम्स टाउन, देवघर 9122799958

पढ़कर सुना वो समझा दिया,

प्रारूपकर्त्ता रघुनीर पंडित

डीड राईटर, देवघर

तारीख : 4·3·20

(2) श्यामानन्द झा ... 4/3/2020 ... देवघर 7050137978

SPECIMEN FORM FOR FIVE LEFT HAND FINGER PRINTS

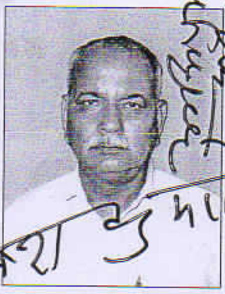

LITTLE FINGER	RING FINGER	MIDDLE FINGER	FOUR FINGER	THUMB

राजेश कुमार 9931010422
4/3/2020

LITTLE FINGER	RING FINGER	MIDDLE FINGER	FOUR FINGER	THUMB

चन्द्रना कुमारी 9973937110
4/3/2020

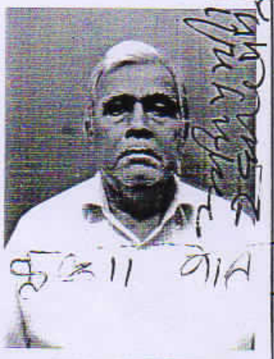

LITTLE FINGER	RING FINGER	MIDDLE FINGER	FOUR FINGER	THUMB

कृष्णा कान्त = 7050137978
4/3/2020

LITTLE FINGER	RING FINGER	MIDDLE FINGER	FOUR FINGER	THUMB

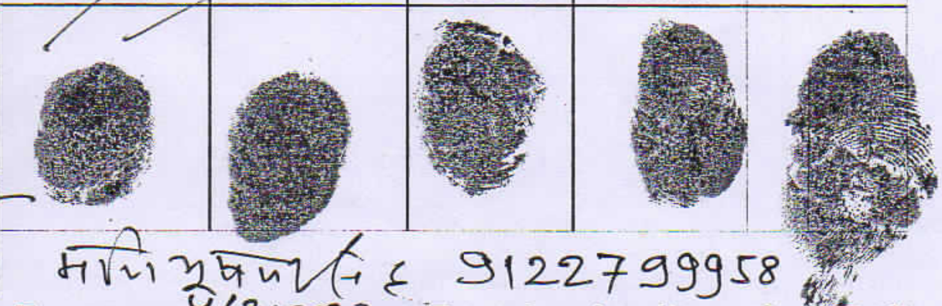

मनोज कुमार सिंह 9122799958
4/3/2020

प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज में लगी छाया चित्र एवं उनके बायें हाथ के अंगुलियों के निशान मेरे समक्ष लिया गया है।

4.3.20

2 | जरा कुमार
4/3/2020

पावती रसीद (Memo of Consideration)

मैं केवालादाता आप केवालाग्रहितृ से नीचे लिखे मुताबिक भुगातन पाए।

बैंक का नाम	चेक संख्या/आर.टी.जी.एस.	दिनांक	रकम
कॉपरेटिभ बैंक, देवघर	RTGS	18.05.2018	300000/–
कॉपरेटिभ बैंक, देवघर	RTGS	21.05.2018	300000/
कॉपरेटिभ बैंक, देवघर	RTGS	08.07.2019	500000/–
कॉपरेटिभ बैंक, देवघर	RTGS	09.07.2019	400000/–
कॉपरेटिभ बैंक, देवघर	RTGS	28.05.2019	200000/–
कॉपरेटिभ बैंक, देवघर	RTGS	09.01.2018	200000/–
एक्सीस बैंक, लखीसराय	RTGS	04.06.2019	200000/–
एस.बी.आई. बेगूसराय	RTGS	06.06.2019	100000/–
कॉपरेटिभ बैंक, देवघर	212569	08.08.2019	200000/–
कॉपरेटिभ बैंक, देवघर	212568	09.08.2019	250000/–
		कुल	26,50,000/–

कुल रकम छब्बीस लाख पचास हजार रूपये मात्र।

PLAN OF LAND UNDER MOUZA:- SALOONA-TANR NO-253, P.S. AND DIST- DEOGHAR N. N. WARD NO-15, D.B. NO - 64 NAYA(D), T.P. PLOT NO-384, AREA:-1209, SQ.FT, SHOWN IN RED COLOUR, BELONG'S TO Shri RAJESH KUMAR S/o MATHURA Pd. SINGH OF BILLUMTOWN DEOGHAR, NOW SOLD TO BANDANA KUMARI W/o RAKESH KUMAR OF SOUTH TOLA SALIMPUR, PATNA,

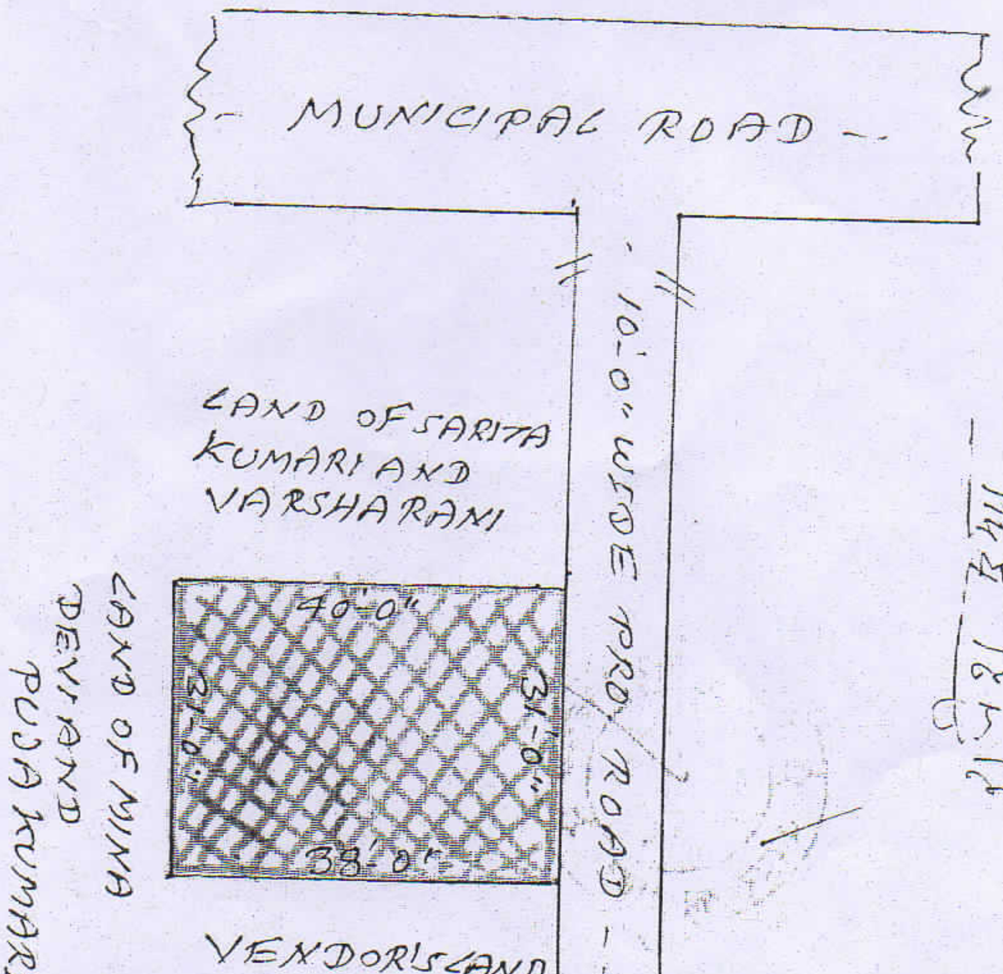

4/3/2020

Prepared By
Shyam Mohan Dubey
10/8/19